

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना  
सं० 8/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 16 मई, 2017

सा०का०नि० (अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 12/2012- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 163 (अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, शीर्ष के अधीन शर्त सं० 43 में "शर्त" खंड (ख) में :-

(i) शब्दों " छयासठ माह" के स्थान पर शब्द "एक सौ छब्बीस माह" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) शब्दों " साठ माह की अवधि" के स्थान पर शब्द "एक सौ बीस माह" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं. 354/94/2011-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -11, खंड -3, उपखंड (i) में, प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 95(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 07/2017- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017 के द्वारा किया गया था।